

सुमेरसिंह


बनाम

श्रीमती आचुकी व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व अपील

नं० 116

सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.02.2025	<p>श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर के आदेश क्रमांक डीएम/रीडर/2025/रेफ.नम्बर 12792958 दिनांक 02.01.2025 की अनुपालना में प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के पत्र क्रमांक एडीएम/प्रथम/कोर्ट/2025/328 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा प्रकरण स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 23-04-2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       अपर जिला कलक्टर (द्वितीय),                      जोधपुर                 </p>	
23-4-25	<p>पत्रावली पेश डी. अचुकी व अन्य (उपरोक्त)                      अचुकी अपील नं० 116/2025 मन्दा                      ड व न के अपील मुकाम को रजि                      पर लेने का अपील पत्र पेश कर                      अपील मुकाम की कार्यवाही पेश करे।                      पत्रावली दाखिल पेश एवं अपील मुकाम                      कार्यवाही प्रथम पर अपील दिनांक                      20-5-2025 को पेश करे।</p>	
20-5-2025	<p>पत्रावली पेश डी. अचुकी व अन्य (उपरोक्त)                      अचुकी अपील नं० 116/2025 मन्दा                      न ही अपील नं० 116/2025 मन्दा                      अचुकी अपील नं० 116/2025 मन्दा                      पत्रावली ड व न के अपील मुकाम को</p>	

रेकॉर्ड वा लेंन का का प्रार्थना पत्र  
 आज भी पेश नहीं किया गया।  
 यक़ीन में काउन्सिलर का कार्रवाई लक्षण  
 पर भी अमानत मान्य नहीं है।  
 वरु 'अपीलर अधिवक्ता व अपीलर  
 स्वयं उपस्थित नहीं हुए। परन्तु अदालत  
 स्थित जानने पर भी रेकॉर्ड्स अदालत  
 उ व न के कायदा को रेकॉर्ड पर  
 लेंन एवं अपील गुणवत्ता की जाँच  
 का प्रार्थना पत्र अपीलर अधिवक्ता  
 काय पेश नहीं किया गया। अतः  
 ऐसी स्थिति में यह अपील, अपीलर  
 अधिवक्ता व स्वयं अपीलर के  
 अनुपस्थित रहने पर अदालत पेशी  
 व अदालत कार्य में बाधित हो  
 जाती है। फलतः 'अपील गुणवत्ता  
 एका व दो से का हो तथा  
 बाद लक्षण लक्षण कार्रवाई  
 पेश हो।



अपर जिला कलेक्टर (दिल्ली)  
 जोधपुर